बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/भू0अ0नि0(13)विशेष सर्वेक्षण कर्मी(भ्रष्टाचार)–02/2023 6774 **पटना, दिनांक**:– 01.09.23

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद के पत्रांक 400 दिनांक 27.04.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मो0 शादाब अली, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03237) को निगरानी एवं अन्वेषण ब्यूरों, पटना द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है, जो सरकारी कर्मी के आचरण के प्रतिकूल तथा उनके कृत्य से जिले की छवि धूमिल करने के फलस्वरूप इनको सेवा में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

उक्त के संदर्भ में पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 764 दिनांक 21.04.2023 द्वारा विस्तृत रूप से सूचना दी गयी है कि उक्त विशेष सर्वेक्षण अमीन श्री नरेश यादव, पिता स्व0 केशो यादव, ग्राम–मुस्तफापुर, पो0–मोदनगंज, थाना–घोषी, जिला जहानाबाद से सर्वे कर मापी कर देने के एवज में 20000/–(बीस हजार) रूपये रिश्वत लेते हुए दिनांक 18.04.2023 को रंगे हाथ गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश, निगरानी, पटना के न्यायालय से न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना भेजा गया है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से प्राप्त सूचना के आलोक में आरोपित से इस कार्यालय के पत्रांक 4336 दिनांक 23.05.2023 द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में संविदा अनुबंध समाप्ति के विरूद्ध स्पष्टीकरण की मांग बंदोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद के माध्यम से की गयी है। तदालोक उक्त स्पष्टीकरण के संदर्भ में उनके भाई मो0 नायाब अली के द्वारा सूचना यह भेजी गयी है कि वर्त्तमान में उनका भाई (शादाब अली) न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल, पटना में कैदी के रूप में बंदी हैं तथा माननीय न्यायालय में मामला लंबित है, अतः उनके जमानत प्राप्त होने पर स्पष्टीकरण दे सकेंगे या नोटिस का तामिला न्यायिक अभिरक्षा आदर्श कारा, बेउर को भेजा जाय ताकि वे खुद जबाब दे सके।

एतद् संबंधी सूचना प्राप्त होने के उपरांत निदेशालय, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, पटना के पत्रांक 6073 दिनांक 31.07.2023 द्वारा कारा अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना के माध्यम से आरोपित को स्पष्टीकरण का तामिला कराया गया है। इस आलोक में अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारा, बेऊर के पत्रांक 10727 दिनांक 15.08.2023 के माध्यम से आरोपित का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है।

आरोपित के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि आरोपित ने अपने स्पष्टीकरण में यह अंकित किया है कि उन्हें निगरानी विभाग द्वारा जो पकड़ा गया है, वह सही नहीं है। उन्हें नरेश यादव नाम के व्यक्ति का कार्य नहीं करने के फलस्वरूप फंसाया गया है, क्योंकि उनके द्वारा पूर्व में ही धमकी दी गयी थी कि "मेरा कार्य कर दिया जाय अथवा तुम्हें फंसा दूंगा"। आगे अंकित किया गया है कि वे निर्दोष हैं।

प्रतिवेदित आरोप एवं निगरानी विभाग से प्राप्त सूचना तथा साक्ष्य, प्रदर्श के आलोक में आरोपित के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की गहन विवेचना की गयी। विवेचनोपरांत पाता हूँ कि आरोपित के द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किए गए तथ्य के समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है, अगर इन्हें अपने कार्यक्षेत्र में इस तरह की धमकी संबंधित व्यक्ति के द्वारा दी गयी थी, तो इसकी सूचना वरीय पदाधिकारियों को देते हुए स्थानीय थाना में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जानी चाहिए थी। आरोपित के द्वारा बेबुनियाद एवं तथ्यहीन स्पष्टीकरण दिया गया है, जो स्वीकार करने योग्य नहीं है।

क्र0पृ0उ0

बिहार विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि आमजनो के बीच जाकर उनके सहयोग से कार्य को पूर्ण किया जाना। ये निगरानी के द्वारा रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए हैं, जिससे स्पष्ट है कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे। ऐसे कर्मी को सेवा में बनाए रखने से इसका कुप्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर न पड़ने के दृष्टिकोण से इनका संविदा अनुबंध समाप्त किया जाना ही उचित है।

अतः **''बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली, 2019 के नियम 8(4)''** के आलोक में मो0 शादाब अली, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03237) का संविदा नियोजन निगरानी विभाग द्वारा गिरफ्तार किए जाने की तिथि अर्थात दिनांक 18.04.2023 से समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 8/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(13)विशेष सर्वेक्षण कर्मी(भ्रष्टाचार)–02/2023 6724 **पटना, दिनांक** :– 01.09.23

प्रतिलिपि :– मो0 शादाब अली, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN03237), बंदोबस्त कार्यालय, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(13)विशेष सर्वेक्षण कर्मी(भ्रष्टाचार)–02/2023 6724 **पटना, दिनांक** :– 01.09.23

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(13)विशेष सर्वेक्षण कर्मी(भ्रष्टाचार)–02/2023 6724 **पटना, दिनांक** :– 01.09.23

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना (ई–मेल आई0डी0–spvig-bih@nic.in को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(13)विशेष सर्वेक्षण कर्मी(भ्रष्टाचार)–02/2023 6724 **पटना, दिनांक** :– 01.09.23

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी निदेशालय अन्तर्गत R2R सॉफ्टवेयर में संधारित मो0 अली की व्यक्तिगत संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक 30/8/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप